



## केदारनाथ के लैंडफलि में अनुपचारति अपशषिट

### चर्चा में क्यों?

पर्यावरणविद् इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अधिकारी [पर्यावरण के परतिसंवेदनशील हिमालयी मंदिर केदारनाथ](#) के आसपास लैंडफलि स्थलों पर टनों अनुपचारति अपशषिट डालना जारी रखे हुए हैं।

### मुख्य बदि

- **केदारनाथ में अपशषिट डंपिंग:**
  - यह पता चला कि वर्ष 2022 और 2024 के बीच केदारनाथ के पास दो लैंडफलि साइटों पर **49.18 टन असंसाधति अपशषिट फेंका** गया।
  - अनुपचारति अपशषिट उत्पादन में वृद्धिका रुझान देखा गया है, जो 2022 में 13.2 टन, 2023 में 18.48 टन तथा 2024 में अब तक 17.5 टन है।
- **पर्यावरणीय चिंता:**
  - कार्यकर्ताओं ने [अपर्याप्त अपशषिट प्रबंधन प्रणाली](#) की आलोचना की तथा इस बात पर जोर दिया कि [पारस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील केदारनाथ क्षेत्र](#) में उचित अपशषिट उपचार सुविधाओं का अभाव है।
    - [गलेशियरों](#) के बीच 12,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित इस मंदिर के संवेदनशील पारस्थितिकी तंत्र को संरक्षति करने के लिये तत्काल अपशषिट प्रबंधन सुधार की आवश्यकता है।
  - केदारनाथ के नकिट दो लैंडफलि स्थल क्षमता के करीब पहुँच चुके हैं और नरितर लापरवाही से इस क्षेत्र में वर्ष 2013 की आपदा जैसी एक और त्रासदी हो सकती है।
- **सरकारी एवं कानूनी नगिरानी:**
  - [राष्ट्रीय हरति अधकिरण \(NGT\)](#) और [राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशिन \(NMCG\)](#) ने शकियतों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को केदारनाथ में सीवेज उपचार संयंत्र स्थापति करने का नरिदेश दिया।
    - NMCG ने पाया कि केदारनाथ से आने वाला अनुपचारति अपशषिट गंगा की सहायक नदी [मंदाकनी](#) को प्रदूषति कर रहा है तथा [रुद्रप्रयाग](#) ज़िला प्रशासन को कार्रवाई करने का नरिदेश दिया।

### पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र

- पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र या पारस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षति क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं।
- ईएसजेड को [पर्यावरण संरक्षण अधनियम 1986](#) के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकारद्वारा अधसूचित किया जाता है।
  - संवेदनशील गलेशियरों, संपर्कता और पारस्थितिकी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पैचों या रास्तों वाले स्थानों के मामले में, जो भूदृश्य संपर्कता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, यहाँ तक कि 10 किलोमीटर चौड़ाई से अधिक के क्षेत्रों को भी पारस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है।
- इसका मूल उद्देश्य [राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतविधियों को वनियमति करना है](#), ताकि संरक्षति क्षेत्रों में स्थित संवेदनशील पारस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

